न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मुरारीप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –248/2024
निर्णय दिनांक 15/5/2025.........

मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।
–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर के खाता संख्या 32 के खसरा सं. 7 तादादी 8.0928 हैक्ट. में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा खाता संख्या 188 के खसरा सं. 278 तादादी 2.6428 हैक्ट. में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मुरारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा श्रमिक कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा है। प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम मुरारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर के खाता संख्या 32 के खसरा सं. 7 तादादी 8.0928 हैक्ट. खाता संख्या 188 के खसरा सं. 278 तादादी 2.6428 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मुरारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल व मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड से प्रार्थी का नाम मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मुरारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर के खाता संख्या 32 के खसरा सं. 7 तादादी 8.0928 हैक्ट. खाता संख्या 188 के खसरा सं. 278 तादादी 2.6428 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **मुरारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल** Delete कर इसके स्थान पर **मुरारीप्रसाद शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/2025.......... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)